पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

पत्रांक : महा. 4/ विक्रम संवत् 2078 **दिनांक : 08/06/2021**

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली।

विषय : नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के संबंध में संगठन का मत/सुझाव।

महोदय,

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारत के 26राज्यों के 10 लाख से अधिक प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों का देशव्यापी संगठन है। संगठन का मानना है कि शिक्षण समाज में एक सम्मानित पेशा है, और इस पेशे को अपनाने वाले शिक्षकों के के लिए एक पेशेवर मानक संहिता होना आवश्यक है। किंतु संगठन यह भी स्पष्ट मत रखता है कि इस संबंध में संपूर्ण शिक्षण तंत्र को समग्रता से देखा जाना चाहिए। समग्र सुधार के लिए केवल शिक्षक के लिए ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण तंत्र के प्रत्येक घटक, यथा संस्थान के मुखिया, ब्लॉक और जिला लेवल के शिक्षा अधिकारी, राज्य निदेशालय के अधिकारी, एससीईआरटी, शिक्षा बोर्ड आदि के लिए भी व्यावसायिक मानक तय किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के संबंध में संगठन का मंतव्य/सुझाव निम्न प्रकार है –

ईमानदारी और प्रमाणिकता –

i. शिक्षक को ऐसे जिम्मेदारी भरे आचरण और व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समाज उनसे आशा करता है। शिक्षक का व्यवहार धैर्ययुक्त और शालीन होना चाहिए।

ii. उसका आचरण कथनी और करनी में भेद ना करने वाला हो। उसके शब्दों और कर्मों से प्रमाणिकता स्थापित होती हो।

iii. शिक्षक का आचरण केवल अपने संस्थान तक ही सीमित नहीं हैं, उसे संस्थान से बाहर समाज में भी अपने निजी मसलों का प्रबंधन अपने पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही करना चाहिए।

iv. अध्यापक को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा संस्थान में समय पर आए और समय से पूर्व संस्थान को ना छोड़े तथा संस्थान में रुकने वाले अपने समय को विद्यार्थी और संस्थान हित में अनुकूलतम प्रयोग करें।

v. शिक्षक को निजी व्यवसाय या ट्यूशन से दूर रहना चाहिए तथा वित्तीय मामलों में शुचिता बनाए रखना चाहिए।

vi. शिक्षक को किसी तरह की अकादमिक नकल/चोरी से दूर रहना चाहिए ।

vii. विद्यार्थियों के मूल्यांकन में शिक्षक को निष्पक्ष होना चाहिए।

viii. अध्यापक में चारित्रिक शुचिता होनी चाहिए।

विषय का ज्ञान और पेशेवर कौशल –

i. शिक्षक को अपने विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए तथा स्व-अध्ययन एवं इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा इसे निरंतर अद्यतन करते रहना चाहिए।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

पत्रांक : दिनांक :

ii. शिक्षक से आशा की जाती है कि वह सैद्धांतिक स्पष्टता और समुचित उदाहरणों द्वारा अपने विषय के ज्ञान को छात्रों के समक्ष प्रदर्शित करने में सक्षम हो। शिक्षक को अपनी प्रत्येक कक्षा के लिए समुचित तैयारी करके आना चाहिए।

iii. विषय को ठीक प्रकार समझाने के लिए शिक्षक में अपेक्षित संवाद कौशल होना चाहिए तथा उसे स्वयं को शोध एवं नवाचारी गतिविधियों में संलग्न रखना चाहिए।

iv. विषय के शिक्षण और अधिगम सामग्री के विकास में शिक्षक को यथासंभव योगदान करना चाहिए।

v. शिक्षक को अपने विषय के पेशेवर संगठनों की सदस्यता लेते हुए उसके माध्यम से शिक्षण क्षेत्र को बेहतर बनाने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। उसे ज्ञान के क्षेत्र में पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में अवसर मिलने पर सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।

vi. जहाँ संभव हो वहाँ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों/प्रविधियों का उपयोग शिक्षण और अधिगम में किया जाना चाहिए।

vii. यथासंभव शिक्षण के विषय को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से विभिन्न उदाहरणों द्वारा संबंधित करके बताना चाहिए। शिक्षक को टेक्स्ट बुक के अलावा अन्य संदर्भों का भी समय-समय पर समुचित उपयोग करना चाहिए।

viii. शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों की अद्यतन जानकारी होनी चाहिए तथा इन विधियों का शिक्षण में समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए ।

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से संबंध -

i. शिक्षक को धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक-आर्थिक आधार पर विद्यार्थियों के मध्य भेदभाव नहीं करते हुए निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए।

ii. उसे अपनी कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों की अलग-अलग क्षमताओं को स्वीकार करते हुए तथा उनको पहचानते हुए उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप प्रयत्न करना चाहिए।

iii. शिक्षक को औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देशभक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण व संविधान के प्रति सम्मान की भावना विकसित करनी चाहिए।

iv. अध्यापक को यथासंभव कक्षा समय के बाद भी विद्यार्थियों की सहायता और मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध रहना चाहिए।

v. कक्षा में अनियमित रूप से आने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी उपस्थिति को सुधारने का प्रयत्न शिक्षक से अपेक्षित है। शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी अधिगम में पिछड़ने के कारण ड्रॉप-आउट ना हो।

vi. शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए ताकि विद्यार्थी बिना भय और हिचक के अपनी बात शिक्षक से कह सकें। शिक्षक को विद्यार्थी से संवाद करते समय स्नेही और परवाह करने वाला होना चाहिए तथा कक्षा में विभिन्न गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों को समान सहभाग के अवसर देने वाला होना चाहिए।

vii. शिक्षक से अपेक्षा है कि वह अभिभावकों से सतत रूप से नियमित अंतराल में विद्यार्थियों की उपस्थिति उनके स्वास्थ्य, व्यवहार और प्रगति आदि के बारे में विचार-विमर्श करें तथा मिलकर विद्यार्थी के भले के लिए आगे की योजना बनाएँ।

viii. शिक्षक विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडेल होता है इस हेतु उसमें समुचित नेतृत्व कौशल होना चाहिए।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

पत्रांक : **दिनांक :**

सीखने का वातावरण –

i. शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षा संस्थान के आदर्शों और उत्कृष्ट परंपराओं का आदर करते हुए उन्हें बनाए रखने में अपना योगदान दें।

ii. कक्षा-कक्ष के स्थान का समुचित उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के कार्य को प्रदर्शित किया जाए। विद्यार्थियों में स्व-अनुशासन एवं समय-पालन की आदत विकसित करने में शिक्षक द्वारा अपनी भूमिका तय की जानी चाहिए।

iii. विद्यार्थियों को शारीरिक सजा या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जानी चाहिए।

iv. विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा शिक्षण-अधिगम से संबंधित सामग्री को कक्षा-कक्ष में समुचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए।

v. शिक्षक को अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग करते हुए एक सामूहिक सीखने के वातावरण के निर्माण में योगदान देना चाहिए।

सामुदायिक जुड़ाव –

i. शिक्षक को सामुदायिक सेवा सहित पाठ्येतर कार्यकलापों में विस्तार से भागीदारी करनी चाहिए।

ii. उसे सामाजिक समस्याओं से अद्यतन रहते हुए समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु प्रयत्न करना चाहिए।

iii. शिक्षक को विभिन्न समुदायों, पंथों, समूहों में समरसता का भाव और राष्ट्रीय एकात्मता का भाव बढ़ाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए।

iv. विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय के सदस्यों की यथासंभव भागीदारी होनी चाहिए तथा सामुदायिक गतिविधियों यथा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शिक्षकों की समुचित भागीदारी होनी चाहिए।

महासंघ का मानना है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का उपयोग प्रमुखत: उनके प्रदर्शन के स्व-मूल्यांकन के लिए होना चाहिए ताकि वह उच्चतर स्तर पर पहुँचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। इन मानकों को शिक्षक के मेंटर या संस्थान प्रमुख द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन करने तथा उसके प्रदर्शन में सुधार के लिए रचनात्मक फीडबैक हेतु भी अपनाया जा सकता है, किंतु इन मानकों के अनुरूप प्रदर्शन की सारी जिम्मेदारी शिक्षक पर डालना उचित नहीं है। संगठन का सुविचारित मत है कि स्थानीय परिस्थितियों में सुधार एवं सहयोग के लिए जिम्मेदार संस्थाओं और अधिकारियों यथा संस्थान प्रमुख, ब्लॉक-जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारी, एससीईआरटी आदि के समुचित सहयोग के बिना सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है।

संगठन का मत है कि भारतकी विविध एवं जटिल परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षक का मूल्यांकन एकपक्षीय नहीं हो सकता। वर्तमान में शिक्षक मूल्यांकन काफी हद तक टॉप-डाउन और निरीक्षणात्मक है जिनमें शिक्षक की सहभागिता और अपने मूल्यांकन पर उसकी भूमिका लगभग नगण्य है। मूल्यांकन सुधार प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए ना की शिक्षक को हतोत्साहित करने के लिए। संगठन समझता है कि एक अधिक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण,जिसमें शिक्षक के मूल्यांकन की प्रविधियाँ और प्रक्रियाएँ ब्लॉक या विद्यालय स्तर पर सहमति से सह-विकसित और प्रबंधित की जाती है, अधिक रचनात्मक हो सकता है। इससे भिन्न-भिन्न कार्य वातावरण के संदर्भ में शिक्षकों की क्षमता और उनका प्रदर्शन का मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय ढंग से हो सकता है तथा इस प्रकार की पद्धति से शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के बीच में जरूरी आवश्यक विश्वास बना रह सकता है तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया और उद्देश्य भी अपने अर्थ पा सकते हैं।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली न. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403, 09414068780, 09343211679

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com,Website : www.abrsm.in

अध्यक्ष	महामंत्री	अतिरिक्त महामंत्री	संगठन मंत्री	सह संगठन मंत्री
जगदीश प्रसाद सिंघल	शिवानन्द सिंदनकेरा	डॉ. निर्मला यादव	महेन्द्र कपूर	ओमपाल सिंह
09414068780	09343211679	09412169506	09868711893, 09414040403	09415121329

पत्रांक : **दिनांक :**

संगठन का यह भी सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में शिक्षक का प्रदर्शन कमजोर हो वहाँ उसे हतोत्साहित करने के स्थान पर उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षण पेशे में उत्कृष्टता के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों में ही लगाना चाहिए, अशैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की सरकारी आदेश से संलग्नता से उनके प्रदर्शन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महासंघ का यह सुस्पष्ट विचार है कि मूल्यांकन प्रणाली को बिना भेदभाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत अनिवार्य शर्त है अन्यथा किसी भी तरह की मानक व्यवस्था सकारात्मक परिणाम देने के बजाय व्यवस्था को विपरीत दिशा में ले जा सकती है।

वर्तमान में भारतीय शिक्षा तंत्र बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है; शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, भौतिक एवं मूलभूत सुविधाओं का बड़ी मात्रा में अभाव है, अधिकांश मामलों में शिक्षकों के ऊपर शैक्षणिक कार्यों के साथ गैर-शैक्षणिक कार्यों का अतिभार है, मात्र 1 या 2 शिक्षक वाले विद्यालय पूरे देश में बड़ी मात्रा में हैं तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात अत्यधिक प्रतिकूल है। महासंघ मानता है कि जब तक शिक्षा तंत्र में इन मामलों में स्पष्ट सुधार नहीं लाए जाते, विभिन्न व्यावसायिक मानकों को पदोन्नति, कार्यकाल या वेतन आदि से जोड़ना उचित नहीं होगा। फिर भी महासंघ का सुझाव है कि अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि या योग्यता प्राप्त या उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप सीमित मात्रा में समय पूर्व प्रमोशन, सेवा विस्तार या अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ दी जा सकती है जिससे अन्य शिक्षकों को भी प्रेरणा मिल सके। किन्तु यह व्यवस्था पूर्णत: भेदभाव रहित हो, इसके लिए स्पष्ट रूप से मापनीय प्राचल बनाए जाने चाहिए। इस संबंध में कुछ मापन योग्य प्राचल हो सकते हैं – जैसे शिक्षक की उपस्थिति, उसके विद्यार्थियों का परीक्षाओं में प्रदर्शन, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उसकी सहभागिता, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, मानक शैक्षणिक सामग्री विकसित करने में योगदान, शिक्षक का विभिन्न कार्यक्रमों में संदर्भ व्यक्ति के रूप में सहभाग, शिक्षक के विद्यार्थियों का उसके विषय से संबंधित राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में सहभाग और प्रदर्शन, अपने शिक्षण संस्थान को स्वच्छ व हरा भरा रखने में योगदान, शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभाग, विभिन्न जर्नल्स, मैगजीन में लेख/शोध पत्र का प्रकाशन आदि।

संगठन अपेक्षा करता है कि सरकार उपर्युक्त सुझावों, जमीनी परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी हित में समुचित निर्णय लेगी।

सादर।

आपका,

(शिवानन्द सिंदनकेरा)

अ.भा. महामंत्री